

नजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रॉपर्टी टैक्स में एक वर्ष की छूट

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2021 को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनलि वजि ने राज्य के नजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का नरिणय लिया।

प्रमुख बडि

- वजि ने बताया कएक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापति नजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड रुपए के संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) का लाभ होगा।
- उल्लेखनीय है क सिरकारी शैक्षणिक भवनों को भी पहले ही संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड रुपए का वत्तीय खर्च आएगा।
- इस नरिणय से राज्य के 88 नकियाँ के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड रुपए का लाभ होगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/one-year-exemption-in-property-tax-for-private-educational-institutions>